

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2263708,

Fax No.—2262558,

www.tribal.cg.gov.in,

Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/562 /2018-19/11386
प्रति,

रायपुर, दिनांक 2/03/2019

कलेक्टर/अध्यक्ष,

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय

एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

जिला—..... (छ.ग.)

विषय :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :- कार्या. पत्र क्रमांक/EMRS/562/2018-19/9892, दिनांक 25.01.2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रति-वर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश नीति जारी किया गया था। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.11015/03/2019 Grant, दिनांक 26.02.2019 द्वारा 16 नवीन विद्यालयों की स्वीकृति देते हुये गाईड लाईन में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप जारी प्रवेश नीति में वर्ष 2019-20 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजन संबंधी प्रवेश नीति एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं चेक लिस्ट सहित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। शेष पूर्व की शर्त यथावत रहेगी :-

1. चयन परीक्षा दिनांक 31.03.2019 दिन रविवार को प्रातः 10:30 से 12:30 तक आयोजित किया जाये।
2. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पर्याप्त समय पूर्व पर किया जाकर विद्यार्थियों एवं शालाओं तक जानकारी पहुंचाया जाए।
3. प्रवेश पत्र समय पर जारी कर शालाओं/अभिभावकों तक पहुंचाया जाए।
4. प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्देश शाला स्तर तक पहुंचाते हुए समाचार पत्रों एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
मैदानी क्षेत्र के कर्मचारी यथा मंडल संयोजक, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सी.ए.सी., सी.आर.सी आदि के माध्यम से जानकारी शालाओं तक पहुंचाया जाए एवं अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान बच्चे इस योजना का लाभ ले सकें।
5. परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए सभी कर्मचारियों को इस परीक्षा योजना के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।
6. परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष एक शिक्षक तथा एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा चालू होने के 20 मिनट पूर्व खोला जाकर हस्ताक्षर युक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जाये।
7. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर कर नाम एवं पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जाए।
8. परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जाये फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका जाये। इसमें किसी प्रकार की गड़गड़ी होने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासन की कार्यवाही किया जावे।

निरन्तर—

9. उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षकों के अलावा अन्य शिक्षकों को लगाया जाये एवं उत्तर पुस्तिकाओं का जांच निष्पक्षता पूर्वक कराया जाए ।
10. चेक लिस्ट में दिये गये दिनांकवार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र 2019-20 हेतु नियमित कक्षाएं शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए ।
11. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया जाए ।

अतः प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। प्रवेश संबंधी कार्यवाही एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट WWW.tribal.cg.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार
(आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित)



(अंशिका पाण्डेय)

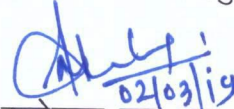
डिप्टी कलेक्टर सह सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान, समिति
अटल नगर, रायपुर, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / **EMRS / 562 / 2018-19 / 11387**
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक **2 / 03 / 2019**

1. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. प्राचार्य/उपप्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय.....
जिला..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



डिप्टी कलेक्टर सह सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान, समिति
अटल नगर, रायपुर, (छ.ग.)

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट
वर्ष 2019-20**

कं	विवरण	दिनांक	दिन
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की अन्तिम तिथि।	18.03.2019	सोमवार
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन पत्र का परीक्षण एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय में जमा करने की तिथि।	19.03.2019	मंगलवार
3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग.द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या जिलेवार, विकास-खण्डवार (Mail / Fax) भेजने की तिथि	20.03.2019	बुधवार
4	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग. द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करना।	25.03.2019	सोमवार
5	राज्य मुख्यालय से सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण की तिथि। (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	28.03.2019	गुरुवार
6	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन की निर्धारित तिथि।	31.03.2019	रविवार
7	जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोशणा तिथि।	03.04.2019	बुधवार
8	दावा आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	05.04.2019	शुक्रवार
9	जिला स्तर पर अंतिम चयन सूची जारी किया जाना एवं सर्वसंबंधितों को प्रवेश हेतु सूचित किया जाना एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया जाना।	12.04.2019	शुक्रवार
10	आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों के नाम तथा विद्यार्थियों की मेरिट सूची आयुक्त कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि।	15.04.2019	सोमवार

टीप:- शासन के निर्देशानुसार शिक्षण सत्र 2019-20 प्रारंभ किया जावे।



(अंशिका पाण्डेय)

**डिप्टी कलेक्टर सह सहायक संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
अटल नगर, रायपुर, (छ.ग.)**

**भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत
स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु
प्रवेश नीति वर्ष 2019-20**

(1) परिचय :-

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर से सम्बद्ध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिन्दी माध्यम से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। शिक्षण सत्र 2019-20 से चयनित विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (CBSE) नई दिल्ली, पाठ्यक्रम अंतर्गत हिन्दी माध्यम में अध्यापन कराया जाना प्रस्तावित है। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मैरिट सूची तैयार की जाती हैं। जिसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(2) योजना के उद्देश्य :-

1. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु समस्त अनुषांगिक कार्य करना।
2. इन संस्थाओं में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना।
4. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(3) विद्यालयवार स्वीकृत सीट्स :-

निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 60 सीट के मान से विद्यार्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित कराया जाना है :-

क्र.	संस्था एवं जिले का नाम	कक्षा 6 वीं हेतु स्वीकृत सीट्स		
		बालक	बालिका	योग
1.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, करपावण्ड, जिला-बस्तर	60	—	60
2.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंतागढ़, जिला- कांकेर	60	—	60
3.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मैनपाट, जिला-सरगुजा	60	—	60
4.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर, जिला-सूरजपुर	60	—	60
5.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मुढ़पार, जिला-रायगढ़	60	—	60
6.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगांव जंगल, जिला-कबीरधाम	60	—	60
7.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण, जिला-दंतेवाड़ा	—	60	60
8.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना, जिला-जशपुर	—	60	60
9.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पेण्डी, जिला-राजनांदगांव	30	30	60
10.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पोड़ीडीह, जिला-कोरिया	30	30	60
11.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़, जिला-बीजापुर	30	30	60
12.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला, जिला-कोरबा	30	30	60
13.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेसोली, जिला-बस्तर	30	30	60
14.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	30	30	60
15.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मर्दापाल, जिला-कोंडागांव	30	30	60
16.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मारवाही, जिला- बिलासपुर	30	30	60

17.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	30	30	60
18.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नगरी, जिला-धमतरी	30	30	60
19.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर	30	30	60
20.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा, जिला-सुकमा	30	30	60
21.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डौंडीलोहारा, जिला-बालोद	30	30	60
22.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कसडोल, जिला-बलोदाबाजार	30	30	60
23.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला-महासमुद	30	30	60
24.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला-मुंगली	30	30	60
25.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला-जांजगीर-चांपा	30	30	60
26.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर	30	30	60
27.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पाली, जिला-कोरबा	30	30	60
28.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धर्मजयगढ़, जिला- रायगढ़	30	30	60
29.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर	30	30	60
30.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओड़गी, जिला- सूरजपुर	30	30	60
31.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वाडफनगर, जिला-बलरामपुर	30	30	60
32.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सामरी (कुसमी) जिला- बलरामपुर	30	30	60
33.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, उदयपुर, जिला- सरगुजा	30	30	60
34.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोनहत, जिला- कोरिया	30	30	60
35.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मानपुर, जिला- राजनांदगांव	30	30	60
36.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तोकापाल, जिला- बस्तर	30	30	60
37.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कांकेर, जिला- कांकेर	30	30	60
38.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बीजापुर, जिला- बीजापुर	30	30	60
39.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोन्टा, जिला- सुकमा	30	30	60
40.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दन्तेवाड़ा, जिला- दन्तेवाड़ा	30	30	60
41.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जशपुर, जिला- जशपुर	30	30	60
योग		1350	1110	2460

(4) सीटों का आरक्षण :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये है। विद्यालय में प्रवेशित सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

1. अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार, अबूझमाडियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुजिया) के विद्यार्थियों को प्राथमिता दी जायेगी।
2. अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसके लिये जिले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. स्पोर्ट कोटा अतर्गत 20% ऐसे आदिवासी बच्चों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने खेल-कुद के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया हो।
4. गैर आदिवासी विद्यार्थियों हेतु 10% सीट में प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटों पर गैर आदिवासी विद्यार्थियों को प्रवेशित कराने के संबंध में प्राथमिकता कम निम्नानुसार होगा। एकलव्य विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र व नक्सल हिंसा में अपने पालक/अभिभावक खोने वाले विधवा महिला के बच्चे, दिव्यांग पालकों के बच्चे व स्थानीय समुदाय के बच्चों के लिए होगा, जिसमें विद्यालय के निर्माण में भूमिदान एवं अन्य विकास कार्य में सहयोग करने वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जावेगी। चयन का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
5. शेष सीटें अनुसूचित जनजाति के छात्रों से भरा जायेगा।

कंडिका- 1,2,3 एवं 4 में से छात्र-छात्राएं न मिलने पर सीटों की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से की जावेगी।

(5) पात्रता :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. विद्यार्थी की आयु 1 जुलाई 2019 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो।
2. शिक्षण सत्र 2018-19 में आयोजित कक्षा 5वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो अथवा पूर्व वर्ष में कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. प्रवेश हेतु कक्षा 5 वीं में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजाति वर्ग का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(6) आवेदन पत्र :-

चयन परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्न स्थानों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :-

1. कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छ.ग.।
2. संबंधित कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छ.ग.।
3. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट-www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र की मूलप्रति उपलब्ध नहीं हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (आवेदन पत्र) को टंकित कराकर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(7) आवेदन पत्र को जमा करना :-

आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर निर्धारित तिथि में संबंधित जिलों के कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में दिनांक 19.03.2019 तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(8) प्रवेश पत्र :-

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भेजा जावेगा। चयन परीक्षा की तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षा के पूर्व आवेदक आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्रस्तुत कर परीक्षा केन्द्रों से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

(9) चयन परीक्षा के संबंध में

(i) चयन परीक्षा का दिनांक 31.03.2019, दिन-रविवार को प्रातः 10:30 से अपरान्ह 12:30 बजे तक।

(ii) परीक्षा केन्द्र :-

प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन जिन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, वहां के जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केन्द्र में संशोधन करने का आवेदन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संस्था के प्राचार्य के होंगे। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र, आधार कार्ड या परिचय पत्र लाना आवश्यक होगा।

(iii) परीक्षा का माध्यम :-

चयन परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) प्रश्न पत्र का निर्माण :-

चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण विभागीय विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किया जायेगा।

(v) प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र की संरचना :-

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा प्रश्न पत्र कुल 04 खण्डों में होगा। प्रत्येक खण्ड में से 25-25 वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रश्न 100 अंको के होंगे प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होंगे:-

खण्ड	विषय का विवरण	प्रश्नों की संख्या	अंक
अ	गणित	25	25
ब	अंग्रेजी	25	25
स	हिन्दी	25	25
द	पर्यावरण	25	25
	योग	100	100

(vi) उत्तर पुस्तिका :-

1. प्रश्न पत्र में ही निर्धारित स्थान पर उत्तर अंकित किये जा सकेंगे। उत्तर देने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
2. उत्तर अंकित करने हेतु बाल पेन का उपयोग किया जा सकेगा, पेन्सिल का उपयोग वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र में पेन परीक्षार्थी स्वयं लेकर आयेंगे।
3. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रकार का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। सही विकल्प के उत्तर को निर्धारित स्थान पर लिखना होगा तथा सही उत्तर पर (O) का निशान लगाना होगा। अन्य निशान मान्य नहीं किया जायेगा।
4. एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात् उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर में (X) का चिन्ह अंकित करने के बाद सही उत्तर में (O) का निशान लगाना होगा।
5. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन प्रणाली नहीं होगी।

(vii) उदाहरण :-

1. 56 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

प्रथम विचार

- | | |
|------|-------|
| 1. 4 | 2. 20 |
| 3. ⑧ | 4. 14 |

उपरोक्त उदाहरण में सरल क्रमांक-3 का उत्तर मान्य किया जायेगा।

2. छत्तीसगढ़ की राजधानी है (रिक्त स्थान की पूर्ति करें)

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. रायपुर | 2. बिलासपुर |
| 3. बस्तर | 4. सरगुजा |

(viii) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन :-

चयन परीक्षा के परिणाम दिनांक 03.04.2019 तक घोषित कर दिया जायेगा परीक्षा परिणाम का प्रदर्शन जिला कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में किया जावेगा।

(10.) चयन एवं प्रवेश :-

1. चयन परीक्षा के आयोजन हेतु जिला स्तर पर समिति तथा प्रवेश हेतु शाला स्तर पर प्रवेश समिति का गठन किया जाए।
2. चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों तथा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति का मान्य किया जायेगा।
4. चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा। चयन परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नगणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।
5. चयन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को केवल उन्हीं संस्थाओं में प्रवेश दिया जायेगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
6. प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयन परीक्षा में चयनित एवं असफल उम्मीदवारों के अंक गोपनीय रखे जायेंगे।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं यदि किसी वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को 15 दिवस के भीतर संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
10. प्रवेश के समय निम्नानुसार दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-
- अ. कक्षा पांचवी की अंकसूची।
 - ब. शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
 - स. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - द. अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
 - इ. जिला चिकित्सालय बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 - प. आधार कार्ड का छायाप्रति।

(उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा).....

(11) छात्रावास सुविधा :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय शिक्षा संस्था है। विद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क आवास एवं शिष्यवृत्ति की राशि में से भोजन की व्यवस्था की जावेगी।

(12). शिष्यवृत्ति एवं अन्य सुविधा :-

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर
1	शिष्यवृत्ति	—	12000 /— वार्षिक
2	पोषण आहार	—	3000 /— वार्षिक
3	शाला गणवेश	2	1500 (2 सेट)
4	स्कूल बैग	1	500 रु.
5	टी शर्ट, शार्ट्स एवं ब्लेजर	01	300—300—1000
6	पी.टी.शूज /जूता	02	700 रु.
7	मोजा	02	150 रु.
8	अंडर वियर	02	150 रु.
9	बनियान	02	150 रु.
10	टॉवेल	02	200 रु.
11	टाई एवं बेल्ट	01	200 रु.
12	टूथब्रश पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन (नहाने/कपड़ा धोने)	—	1000 रु. वार्षिक
13	स्वच्छता प्रसाधन हेतु (सेनेटरी नेपकिन)	—	750 रु.
14	पाठ्य पुस्तक /कापियां एवं लेखन सामग्री	—	हाईस्कूल स्तर तक 3000 रु. प्रति विद्यार्थी हायर सेकेण्ड्री स्तर पर प्रतिवर्ष 5000 रु. प्रति विद्यार्थी (औसत 4000 /—)
15	यात्रा व्यय (घर से स्कूल आने जाने)	—	400 रु. प्रतिवर्ष
16	यात्रा व्यय (विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता)	—	200 रु.
17	चिकित्सा व्यय	—	250 रु. प्रतिवर्ष
योग			26750.00 रूपये

विद्यालय में कम्प्यूटर/विज्ञान लैब एवं पुस्तकालय के साथ-साथ प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र-छात्राओं हेतु क्रीड़ा सामग्री एवं प्रशिक्षित व्यायाम अनुदेशकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी।


(अशिका पाण्डेय)

डिप्टी कलेक्टर सह सहायक संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2019-20

आवेदन-पत्र

परीक्षा का दिनांक / / 2019

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

रोल नंबर :-

--	--	--	--	--

पासपोर्ट आकार का नवीन
फोटो चिपकायें जो उस
विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5
वीं में पढ़ रहा है/रही है)
के प्रधानाचार्य से सत्यापित
हो

परीक्षा केन्द्र का नाम

जिले का नाम

.....
..... परीक्षा का माध्यम

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) :
3. पिता का नाम :
4. माता का नाम :
5. छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अ.ज.जा का नाम :
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालक का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
6. आवेदक विशेष पिछड़ी जनजाति यथ (कमार, अबुझमाड़ियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुजिया) वर्ग में आता हो तो उस वर्ग का नाम एवं प्रमाण पत्र :
7. पत्र व्यवहार का पता :
8. क्या विद्यार्थी विकलांग है : हां / नहीं
(यदि हां तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
9. पालक का मोबाइल नंबर :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10. जन्म तिथि (अंकों में) : तिथि माह वर्ष

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11. जन्म तिथि (शब्दों में) :
12. दिनांक 01.07.2019 को आयु (10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच हो) वर्ष माह दिन
13. उचित बॉक्स में सही (✓)का निशान लगायें
(अ) लिंग:- पुरुष ☐ महिला ☐
14. कक्षा चौथी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांककुल प्राप्तांक..... प्रतिशत ग्रेड
15. कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण हो तो कुल पूर्णांककुल प्राप्तांक..... प्रतिशत ग्रेड
16. विद्यार्थी का आधार कार्ड (वैकल्पिक है) का क्रमांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. पिता श्री.....
ग्राम..... वि.खं..... जिला(छ.ग.)
विद्यालय में कक्षाअध्ययनरत है । विद्यार्थी द्वारा आवेदन में
दिये गये विवरण अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है, विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है ।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2019-20
आवेदन पत्र की पावती

श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्रीका

आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला

(छत्तीसगढ़) में प्रवेश परीक्षा वर्ष 2019-20 हेतु दिनांक को प्राप्त हुआ।

- नोट : 1. यदि प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता है तो इस पावती के आधार पर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
2. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी दो नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परिचय पत्र यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि लावे जिससे परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति जारी किया जा सके।
3. परीक्षा दिनांक 31.03.2019 को प्रातः 10:30 से 12:30 तक है अतः परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचें।

**आवेदन प्राप्तकर्ता अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित**